



बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर-अली खां मार्ग, पटना-800 014
संख्या- FC-1136

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०स०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया। पटना-14, दिनांक— ०३/ ११ / २०१७

विषय : नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C शेखपुरा (नई)—नवादा (नई) फेज-IV पार्ट-I पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.063 हेठल वन भूमि का "अपर महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहारशरीफ (नालंदा)" के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 769 दिनांक 20.06.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 25.02.16 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C शेखपुरा (नई)—नवादा (नई) फेज-IV पार्ट-I पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.063 हेठल वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) अपयोजित होने वाली 0.063 हेठल वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रु० प्रति हेठल की दर पर कुल रु० 39,438/- मात्र की राशि जमा की जायेगी।
- (iii) यद्यपि परियोजना निर्माण में मात्र एक वृक्ष का पातन होना है फिर भी 50 वृक्षों का रेखिक क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी कर्तमान दर पर राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमडल पदाधिकारी, नवादा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (दिकास) के पत्रांक 682 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के आलोक में अद्यतन मजदूरी दर पर प्रावक्कलन तैयार (GPS Reading के साथ) कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।
- (iv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Net Present Value (NPV) और सभी अन्य मद की राशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

- (CAMPA) के Ad-hoc Body द्वारा निर्धारित बचत लेखा संख्या SB01025201 (A/C Name- CAF Bihar, A/C No.- SB01025201, Corporation Bank CGO, Complex, Phase-I, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 RTGS/IFSC No. CORP0000371) में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर जमा कराया जायेगा। उक्ता जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय की मूल प्रति में दी जाय।
- (v) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
 - (vi) आवश्यकतानुसार वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।
 - (vii) राईट ऑफ वे पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा योजना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग प्रधोक्ता एजेंसी से की जायेगी।
 - (viii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक (एक) वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन/कटाई-छाँटाई वन विभाग की देख-रेख में प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा।
 - (ix) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फंका जायेगा।
 - (x) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की बुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा अन्य पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - (xi) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छाँटाई की जायेगी।
 - (xii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
 - (xiii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय नियोजक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
 - (xiv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (xv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।
 - (xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
 - (xvii) उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।
 - (xviii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xix) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में अपर महाप्रबंधक, बिहार प्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहारशरीफ) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये भारत सरकार द्वारा 1 (एक) है० वन मूर्मि के अपयोजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल प्रदायिकारी (वन संरक्षण), बिहार को यह शक्ति प्रत्योगित करने के आलोक में निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयाकृति परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासमाजन

No. 1

(४० क्र० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

— सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक - (F.C) ११३६, दिनांक ५ जून १९८७

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची / वन महानिरीक्षक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड-हॉक कैंप, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

60/-

(१० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—(F.C) १३६ दिनांक १५।।।२०।।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

四〇一

(४० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार पटना।

ज्ञापांक—(F.C) ११३६ दिनांक ९/११/२०१५

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल नवादा/अपर महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विहारशारीफ (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(४० के० पाण्डेय)

न मुख्य वन संरक्षक (कौम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)

पिहार पटना।